न्यायालय ब इजलास श्री अम्बालाल मीना (आर. ए. एस) उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रैट कनवास जिला कोटा (राज0)

राजस्व लोक अदालत शिविर मामोर

मिसल नंबर 556 / 14

दायरा दिंनाक 24.12.2014

उनवान :–

1. भंवरलाल पुत्र गौरी शंकर जाति नायक निवासी मामोर तहसील कनवास।
2. पप्पुलाल पुत्र गौरीशंकर जाति नायक निवासी मामोर तहसील कनवास।
3. द्वारकीबाई बेवा गौरीशंकर जाति नायक निवासी मामोर तहसील कनवास जिला कोटा।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार कनवास।

वाद इन्द्राज दुरूस्ती एवं घोषणा 88, 89 आर टी एक्ट

निर्णय

दिंनाक 07.07.2015

संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि वादी द्वारा जर्ये एडवोकेट रेवतीरमन नागर वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम मामोर पटवार हल्का मामोर तहसील कनवास में खाता संख्या 146 की खसरा नंबर 215 की रकबा 1.12 हैक्टर खसरा नंबर 295 की रकबा 1.83 हैक्टर खसरा नंबर 723 की रकबा 0.64 हैक्टर कुल किता 3 की रकबा 3.59 हैक्टर आराजी स्थित है। वादीगण को उक्त आराजी विरासत में प्राप्त हुयी है, जिस पर वादीगण तन्हा खातेदार एवं काश्तकार है।

यह कि उपरोक्त वर्णित आराजी वादीगण की विरासतन आराजी है जिस पर वादीगण विरासतन खातेदार कब्जे काश्त है तथा उक्त आराजी माफी चौकीदारी की आराजी थी, जिसे भारत सरकार के प्रीवीयर्स मान्यता समाप्त करते समय जागीर प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया था, तथा सभी प्रकार की माफियों का उन्मोचन कर दिया गया था किन्तु राजस्व कर्मचारियों के द्वारा कुछ जमाबन्दियों पर से माफी का अंकन हटा दिया था तथा कुछ पर उस समय नंही हटाया जो आज भी खाते पर दर्ज रिकार्ड है। जबकि खातेदारों को खातेदारी मिलने के बाद में उक्त नोट का कोई औचित्य नंही है ऐसी स्थिति में उक्त नोट के कारण वादीगण खोतदार होते हुऐ भी उक्त भूमि पर विकास कार्य नंही करवा पा रहे है तथा सरकार द्वारा समय समय पर दी जाने वाली विभिन्न योजनाओं का लाभ भी नंही उठा पा रहे है ऐसी स्थिति में वादीगण उक्त वर्णित भूमि के खातेदार कृषक होते हुऐ भी ऋण इत्यादि लेने से अक्सर वंचित रह जाते है।

यह कि वादीगण के खाते एवं कब्जे काश्त की उपरोक्त वर्णित आराजी पर से वादीगण द्वारा राजस्व कर्मचारियों से कई बार मौखिक एवं लिखित में प्रार्थना करने पर भी माफी

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट कनवास जिला कोटा (राज0)

चौकीदारी का अकंन नंही हटाने पर भी वादीगण के लिए माननीय न्यायालय से इन्द्राज दुरूस्ती की डीक्री प्राप्त करना आवश्यक हो गया है इसी क्रम में वादीगण द्वारा राजस्थान सरकार को जर्ये जिला कलेक्टर कोटा एक रजिस्टर्ड लीगल नोटिस भी प्रेषित किया है उक्त रजिस्टर्ड नोटिस की मियाद निकलने बाद भी वादीगण को कोई आसवासन नंही मिलने पर वादीगण का माननीय न्यायालय में इन्द्राज दुरूस्ती हेतु वाद पेश करना आवश्यक हो गया है यह की वाद की विषय वस्तु है।

वादीगण द्वारा वाद पेश कर निवेदन किया है कि वादीगण के पक्ष में इस आशय की डीकी सादिर पारित की जावे कि वादीगण के खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी माल ग्राम मामोर पटवार हल्का मामोर तहसील कनवास की खाता नंबर 146 की खसरा नंबर 215 की रकबा 1.12 हैक्टर खसरा नंबर 295 की रकबा 1.83 हैक्टर खसरा नंबर 723 की रकबा 0.64 हैक्टर कुल किता 3 की 3.59 हैक्टर आराजी पर से माफी चौकीदारी शब्द को हटाया जावे।

प्रार्थी के निवेदन करने पर पत्रावली राजस्व लोक अदालत शिविर मामोर में सुनवाई हेतु रखी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं पेरोकार सरकार तहसीलदार कनवास का जवाब लिया गया। जवाब सरकार दिंनाक 07.07.2015 में तहसीलदार कनवास ने अंकित किया कि चौकीदारी हेतु दी गई माफी की भूमि आंवटित हुयी है। जिस पर धारा 13 आर टी एक्ट के तहत खातेदारी अधिकार प्रदत किया जाना उचित है। इस प्रकरण में राजहित निहीत नंही है।

पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड एवं परोकार सरकार के जवाब का अवलोकन उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुंचत है कि वाद पत्र में अंकित आराजी माल ग्राम मामोर खाता संख्या 146 पर अंकित खसरा नंबर 215की 1.12 हैक्टर , 295 की 1.83 हैक्टर एवं 723 की 0.64 हैक्टर कुल खसरा किता 3 की 3.59 हैक्टर भूमि पर अंकित **"माफी चौकीदारी"** शब्द को हटाया जाना उचित है।

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर माल ग्राम मामोर की जमाबंदी सम्वत 2069–2072 के खाता संख्या **146** पर अंकित आराजी खसरा नंबर **215** रकबा **1.12** हैक्टर खसरा नंबर 295 रकबा **1.83** हैक्टर एवं खसरा नंबर 723 रकबा **0.64** हैक्टर कुल किता 3 रकबा 3.59 हैक्टर भूमि पर वादीगण को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तथा वादीगण के नाम के साथ अंकित **"माफी चौकीदारी"** शब्द को हटाया जाकर इन्द्राज दुरूस्ती की जावे। तदानुसार अन्तिम डिक्री जारी की जावे।

निर्णय आज दिनांक 07.07.2015 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

श्री अम्बालाल मीना
(आर ए एस)
उपखण्ड अधिकारी एवं
उपखण्ड मजिस्ट्रैट कनवास

डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix "D"-1)

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट कनवास** मुकाम **कनवास**

ब इजलास **न्यायालय ब इजलास श्री अम्बालाल मीना R.A.S. उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट कनवास जिला कोटा (राज.) राजस्व लोक अदालत केम्प मामोर**

1. भंवरलाल पुत्र गौरीशंकर जाति नायक निवासी मामोर तहसील कनवास।
2. पप्पुलाल पुत्र गौरीशंकर जाति नायक निवासी मामोर तहसील कनवास।
3. द्वारकीबाई बेवा गोरीशंकर जाति नायक निवासी मामोर तहसील कनवास।

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार कनवास जिला कोटा

प्रतिवादीगण

वाद वास्ते खातेदारी घोषणा, इन्द्राज दुरस्ती अन्तर्गत धारा 88, 89 आर.टी. एक्ट

मुकदमा नं 556/14 सन **2014** तारीख फैसला **07.07.2015 न्यायालय ब इजलास श्री अम्बालाल मीना R.A.S. उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट कनवास जिला कोटा** यह मुकदमा आव वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू **उपखण्ड अधिकारी कनवास** ब हाजरी **वादी नंम्बर 1 लगायत 3 स्वंय** मिनजानिब मुदई व **प्रतिवादी स्वयं** मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जारी है कि **वादी का वाद स्वीकार करते हुए ग्राम मामोर की जमाबंदी सम्वत 2069–2072 के खाता संख्या 146 पर अंकित आराजी खसरा नंबर 215 रकबा 1.12 हैक्टर खसरा नंबर 295 रकबा 1.83 हैक्टर एवं खसरा नंबर 723 रकबा 0.64 हैक्टर कुल किता 3 रकबा 3.59 हैक्टर भूमि पर वादीगण को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तथा वादीगण के नाम के साथ अंकित "माफी चौकीदारी" शब्द को हटाया जाकर इन्द्राज दुरूस्ती की जावे। तदनुसार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है।** नीज ... X ...मुबलिग .... X ...बाबत ... X .. खर्चा इस मुकदमें का मय सूद व शरह ... X ...फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक .. X ..को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख **07.07.2015** माह **जुलाइ 2015** को जारी की गई।

मोहर .....

श्री अम्बालाल मीना
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवं
उपखण्ड मजिस्ट्रेट कनवास

मुदई		रूपया	पै.	मुदायलाह		रूपया	पै
स्टाम्प अर्जीदावा	....	NIL		स्टाम्प वकालतनामा	....	NIL	
स्टाम्प वकालतनामा	....			स्टाम्प अर्जी	....		
स्टाम्प वजह सबूत	....			महनताना वकील	....		
महनताना वकील	....			खर्चा गवाहान	....		
खर्चा गवाहान	....			फीस कमिश्नर	....		
फीस कमिश्नर	....			बाबत इजराय हुकमनामा	....		
बाबत इजराय हुकमनामा	....						
मुतफर्रिक							